Alberta

समाचार विज्ञप्ति

नई टीकाकरण आवश्यकताएँ और एल्बर्टा में COVID-19 दिशानिर्देश

15 सितंबर 2021

एल्बर्टा ने जनस्वास्थ्य आपातस्थिति की घोषणा की है और प्राँत नए स्वास्थ्य दिशानिर्देश लागू करेगा, ताकि क्षमता का विस्तार, टीकाकरण की दरों में वृद्धि व COVID-19 के फैलाव को कम किया जा सके।

COVID-19 के फैलाव को धीमा करने में सहायता के लिए नए, अस्थायी प्राँतव्यापी स्वास्थ्य दिशानिर्देश लागू होंगे। इसमें 20 सितंबर से आरंभ करके रेस्तराओं, इनडोर जनसमूहों, विवाहों और अंतिम संस्कारों, खुदरा, मनोरंजन स्थलों, और इनडोर खेल एवं फिटनेस के लिए लागू होने वाले नए प्रतिबंध भी शामिल है। कार्यस्थलों, इनडोर निजी जनसमूहों, उपासना स्थलों, स्कूलों और बच्चों की गतिविधियों, साथ ही अनिवार्य मास्किंग व सभी इनडोर सार्वजनिक स्थानों में शारीरिक दूरी के निर्देश 16 सितंबर आरंभ हो गए हैं।

20 सितंबर से आरंभ करके ऐसे व्यवसाय या गतिविधि आयोजक अपवाद प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो सरकार द्वारा जारी किए गए टीकाकरण के प्रमाण या हाल में निजी रूप से खरीदे गए नकारात्मक COVID-19 परीक्षण वाले सेवार्थियों की जाँच का कार्यक्रम लागू करेंगे। यदि कोई व्यवसाय या सेवा टीकाकरण के प्रमाण की आवश्यकता का चयन नहीं करती है, तो उन्हें नए स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

नए प्राँतव्यापी जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश

निम्नलिखित दिशानिर्देश 16 सितंबर से प्रभावी होंगे:

कार्यस्थल:

- जब तक कार्य-नियोक्ता परिचालन की प्रभाविता के लिए भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नियत न करे, तब तक घर से कार्य करने के अनिवार्य दिशानिर्देश लागू हैं।

निजी सामाजिक जनसमूह:

- टीकाकरण के लिए पात्र, पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों के इनडोर निजी जनसमूह केवल एक घरबार तथा एक अन्य घरबार के कुल मिलाकर अधिकतम 10 लोगों तक सीमित हैं, जिनमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
- किसी भी इनडोर निजी सामाजिक जनसमूह में टीकाकारण के लिए पात्र किंतु गैर-टीकाकृत व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है।
- आउटडोर निजी सामाजिक जनसमूहों में अधिकतम 200 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति है, जिनमें हर समय दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।

उपासना स्थल:

- उपासना स्थलों में उपस्थिति को अग्नि संहिता क्षमता के एक-तिहाई तक सीमित किया जाना होगा।
- फेस मास्क अनिवार्य होंगे और अलग-अलग घरबारों के बीच, या अकेले रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके दो निकट संपर्कों के समूहों के बीच दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है।

बिना किसी इनडोर हिस्से वाली आउटडोर गतिविधियाँ और सुविधाएँ (शौचालयों के अतिरिक्त):

- इनमें उपस्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है।

स्कूल (K-12):

- ग्रेड 4 और इससे ऊपर के विद्यार्थियों, तथा सभी ग्रेडों के कर्मचारियों और शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य मास्किंग। जो स्कूल वैकल्पिक COVID सुरक्षा योजना लागू कर सकते हैं, उनके लिए अनिवार्य मास्किंग से अपवाद हो सकता है।
- प्राथमिक स्कूलों को क्लास कोहोर्टिंग लागू करनी होगी।
- स्कूलों में शारीरिक गतिविधियों के लिए:
    - 18 वर्ष और इससे कम आयु के युवाओं को शारीरिक गतिविधि में शामिल होने पर मास्क पहनने या दो मीटर की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - आउटडोर गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
    - इनडोर खेल/प्रदर्शन/मनोरंजन/विशेष अभिरुचियों की अनुमति है, जिसमें यथासंभव दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता शामिल होगी।

बच्चों के खेल/प्रदर्शन/मनोरंजन (पाठ्येतर खेल, प्रदर्शन, मनोरंजन और विशेष अभिरुचियाँ):

- इनडोर गतिविधियों की अनुमति है, जिनमें यथासंभव दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने की आवश्यकता के साथ-साथ प्रतिभागियों के लक्षणों की स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता भी शामिल होगी।
- 18 वर्ष और इससे कम आयु के युवाओं को टीम खेल जैसी शारीरिक गतिविधि के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखने या मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है।
- उपस्थित दर्शकगण की संख्या अग्नि-संहिता उपस्थिति की एक-तिहाई क्षमता तक सीमित है। उपस्थित लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता होगी और उन्हें अलग-अलग घरबारों या अकेले रहने वाले व्यक्ति-विशेष और उनके दो निकट संपर्कों के समूहों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।
- आउटडोर गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

बच्चों की गतिविधियाँ:

- बच्चों के दिवसकालीन शिविरों में प्रतिभागियों के बीच दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने और इनडोर मास्किंग की आवश्यकता होगी।
- बच्चों के रात में रहने वाले शिविरों में कोहोर्ट मॉडलों का पालन करना आवश्यक होगा।

निम्नलिखित दिशानिर्देश 20 सितंबर से प्रभावी होंगे:

रेस्तरां:

- प्रति टेबल अधिकतम छह व्यक्तियों (केवल एक घरबार या अकेले रहने वाले व्यक्ति-विशेषों के लिए दो निकट संपर्कों) के साथ आउटडोर बैठकर भोजन करने की अनुमति।
- एल्कोहल की बिक्री और सेवन से संबंधित प्रतिबंध (रात के 10 बजे बिक्री और 11 बजे सेवन समाप्त किए जाने के प्रतिबंध) लागू हैं।
- रेस्तरां प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) को लागू करने के लिए पात्र हैं।

विवाह और अंतिम संस्कार:

- सभी इनडोर समारोहों और सेवाओं में अधिकतम 50 उपस्थितगण या अग्नि संहिता क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा लागू है, इनमें से जो भी कम हो।
- किसी भी इनडोर रिसेप्शन की अनुमति नहीं है।

    - मेजबानी करने वाली सुविधा प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करने के लिए पात्र होगी।
- विवाहों और अंतिम संस्कारों में सभी आउटडोर समारोहों तथा सेवाओं के लिए अधिकतम 200 उपस्थितगण की सीमा लागू होगी। आउटडोर रिसेप्शनों को एल्कोहल की बिक्री और सेवन से संबंधित प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता होगी (यानि, बिक्री रात के 10 बजे समाप्त होनी चाहिए और सेवन रात के 11 बजे समाप्त होना चाहिए।)
    - मेजबानी करने वाली सुविधा प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करने के लिए पात्र होगी।

खुदरा, मनोरंजन और मनबहलाव सुविधाएँ (जिनमें सभी इनडोर स्थल, पुस्तकालय, सम्मेलन, किराए के स्थान, संगीत कार्यक्रम, नाइटक्लब, कैसिनों और इनके जैसे स्थल शामिल हैं):

- उपस्थितगण की संख्या अग्नि-संहिता की एक-तिहाई क्षमता तक सीमित है और उपस्थित होने वाले लोगों को केवल अपने घरबार के लोगों, या जो अकेले रहते हैं, उन्हें केवल दो निकट संपर्कों के साथ भाग लेने की अनुमति है। उपस्थितगण को मास्क पहनने तथा अलग-अलग घरबारों को परस्पर दो मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
    - ये सुविधाएँ प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करने के लिए पात्र हैं।

वयस्क (18 वर्ष से अधिक आयु) खेल, फिटनेस, प्रदर्शन, और मनोरंजन:

- इनडोर गतिविधियाँ:
    - कोई भी इनडोर सामूहिक कक्षाओं या गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
    - एक-के साथ-एक प्रशिक्षण या व्यक्तिगत व्यायाम की अनुमति है, लेकिन तीन मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है।
    - खिलाड़ियों के बीच कोई संपर्क नहीं; इनडोर प्रतियोगिताओं पर रोक, जिसमें टीकाकरण से अपवाद-प्राप्त लोगों के लिए अपवाद है।
    - ये सुविधाएँ और कार्यक्रम प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करने के लिए पात्र हैं। अलग-अलग मामलों के आधार पर विशिष्ट अपवाद भी प्रदान किए जा सकते हैं।

- आउटडोर गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं।

प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program)

- 20 सितंबर से आरंभ करके पूरे प्राँत-भर में अनेकानेक भाग लेने वाले सामाजिक, मनोरंजक और प्रासंगिक आयोजनों तथा व्यवसायों में हिस्सा लेने के लिए टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिरक्षण के प्रमाण या पिछले 72 घंटों के अंदर निजी रूप से भुगतान की गई COVID-19 जाँच का नकारात्मक परिणाम उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।
- इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ विशिष्ट स्थलों, जैसे रेस्तरां, बार और इनडोर आयोजनों में प्रवेश करने के लिए 12 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को अपने टीकाकरण का प्रमाण या हाल में किए गए परीक्षण का नकारात्मक परिणाम दिखाने की आवश्यकता होगी।
- जो व्यवसाय प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करते हैं, वे हमेशा की तरह ही कार्य करेंगे, बशर्ते वे अपने स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार केवल ऐसे लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराएँ जिनके पास प्रतिरक्षण का प्रमाण है या जिनके पास हाल में निजी रूप से भुगतान की गई जाँच का नकारात्मक परिणाम उपलब्ध है। इसका अर्थ यह है कि वे तुरंत और अप्रतिबंधित रूप से टीकाकरण के लिए पात्र किसी भी ऐसे व्यक्ति-विशेष को सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके पास:
    - दोहरे टीकाकरण का सबूत है (ध्यान दें कि 20 सितंबर और 25 अक्टूबर के बीच की पारगमन अवधि में मात्र एक ही खुराक के प्रमाण को भी स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते वह खुराक सेवा उपलब्ध कराने के समय से दो सप्ताह या इससे अधिक पहले दी गई हो)।
    - चिकित्सीय अपवाद का दस्तावेज है।

- हाल ही में (पिछले 72 घंटों के अंदर) किए गए COVID-19 परीक्षण (या तो पीसीआर या रैपिड टेस्ट) का नकारात्मक प्रमाण उपलब्ध है। यह परीक्षण एल्बर्टा स्वास्थ्य सेवाओं (Alberta Health Services) या एल्बर्टा परिशुद्धता प्रयोगशालाओं (Alberta Precision Laboratories) में किया गया नहीं हो सकता है।
- 12 वर्ष से कम आयु के लोगों को भाग लेने वाले व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रतिरक्षण या परीक्षण का नकारात्मक प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह कार्यक्रम उन व्यवसायों या संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा, जिनकी आवश्यकता दिन-प्रतिदिन के जीवन के लिए होती है।

- एल्बर्टावासी MyHealth Records के माध्यम से अपने COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड की प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समयावधि के लिए एल्बर्टावासियों को अपना रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए MyHealth Records में प्रवेश नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। प्रिंटेबल कार्ड, जो पहले 16 सितंबर को उपलब्ध कराया जा रहा था, अब 19 सितंबर को उपलब्ध होगा।

पूरी तरह से टीकाकरण कराएँ

अब 79.5 प्रतिशत से भी अधिक पात्र एल्बर्टावासी COVID-19 टीके की कम से एक खुराक प्राप्त करके संरक्षित हो गए हैं और 71.4 प्रतिशत पूरी तरह से टीकाकृत हो गए हैं। गंभीर परिणामों के खतरे और संक्रमण के जोखिम को टीके नाटकीय रूप से कम करते हैं।

COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में टीके सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। एएचएस (AHS) या भाग लेने वाली फार्मेसियों और चिकित्सक क्लीनिकों के माध्यम से टीकाकरण के एपॉइंटमेंट व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। वेबसाइट alberta.ca/vaccine पर अपना एपॉइंटमेंट बुक करें। कुछ चयनित वॉक-इन क्लिनिक स्थलों में भी प्रथम खुराकें उपलब्ध हैं। दो खुराकें अधिकतम प्रभाविता और लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करती हैं।

संबंधित जानकारी

- एल्बर्टावासियों के लिए COVID-19 जानकारी

मल्टीमीडिया

- समाचार सम्मेलन देखें

मीडिया पूछताछ

हैरिसन फ्लेमिंग
780-984-3543
कार्यवाहक प्रेस सचिव, प्रीमियर कार्यालय

स्टीव ब्युइक
780-288-1735
वरिष्ठ प्रेस सचिव, स्वास्थ्य

और अधिक सरकारी अनुवादित संसाधनों के लिए, कृपया यहाँ जाएँ: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx।